रिव्यू/3809-PBR-15

माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर, खण्डपीठ इंदौर के समक्ष

==

निगरानी प्रकरण क्र०   /2015

प्रस्तुती दिनांक: 04/11 .2015

1. मुकेश पिता जयराम खाती,
2. नारायण पिता कन्हैयालाल खाती
   मृतक तर्फे वारिसान :-
   1. श्रीमती रेशमबाई पति स्व० नारायण,
   2. संजूबाई पिता स्व० नारायण,
   3. सुनिताबाई पिता स्व० नारायण,
   4. नीलेश पिता स्व० नारायण,
   5. रीना पिता स्व० नारायण,
   6. राकेश पिता स्व० नारायण,

सभी निवासी ग्राम खेडीसिहोद, ते०महू, जिला इंदौर (म०प्र०). ... प्रार्थीगण,

कार्यालय आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर
श्री दिलीप दहिया
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 4.11.15 को प्रस्तुत।
1604/04.11.2015
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय

विरुद्ध

1. निर्भयसिंग पिता मांगीलाल राजपूत,
2. श्रीमती सकूबाई पति निर्भयसिंग राजपूत,

निवासी ग्राम खेडीसिहोद, ते० महू, जिला इंदौर (म०प्र०). ... प्रतिप्रार्थीगण

।। रिविजन धारा 51 म० प्र० भूराजस्व संहिता के अन्तर्गत ।।

==

प्रार्थीगण की ओर से सादर निवेदन है कि :-

प्रार्थीगण की ओर से यह रिविजन याचिका अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय, इंदौर सम्भाग, इंदौर

(श्री सकुना साहब) द्वारा निगरानी प्रकरण क्र0 25/निगरानी/2013-14 (मुकेश आदि x निर्मलासिंग आदि) में पारित आदेश दिनांक 27.05.2015 से असंतुष्ट होकर निम्नांकित एवं अन्य अनेकानेक आधारों पर सादर प्रस्तुत करते है कि :-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3809–पीबीआर/15 जिला इन्दौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16–12–2015	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 27–5–15 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष प्रथम दृष्टया विधिसंगत है कि अपर तहसीलदार द्वारा सीमांकन के आधार पर अनावेदकगण की भूमि पर आवेदकगण का अवैध कब्जा पाये जाने से उन्हें पक्षकार बनाया गया है, अन्य को पक्षकार बनाये जाने का कोई औचित्य नहीं है । अतः अपर तहसीलदार द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 का आवेदन पत्र निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त द्वारा निगरानी निरस्त करने में प्रथम दृष्टया विधिसंगत कार्यवाही की गई है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	